

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 979]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 — पौष 3, शक 1947

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

File No.:GENCOR/4264/2025-HOME SECTION. - चूंकि राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए एंव लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए, सक्रिय है या उनके सक्रिय हो जाने की संभावना है,

और चूंकि जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एम.सी.बी.), गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सक्ती की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को, यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (1980 का.स. 65) की धारा-3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एम.सी.बी.), गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सक्ती को यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है, तो उक्त धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, 01 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक की कालावधि के दौरान कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. चौहान, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th December 2025

NOTIFICATION

File No.:GENCOR/4264/2025-HOME SECTION. - Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active or are likely to be active to threaten the communal harmony and to commit any act prejudicial to the maintenance of public order, and to commit acts prejudicial to the security of state;

And whereas, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the All District Magistrate, District Raipur, Bilaspur, Rajnandgaon, Durg, Raigarh, Surguja, Jashpur, Korla, Janjgir-Champa, Korba, Kabirdham, Mahasamund, Dhamtari, Jagdalpur, Dantewada, Kanker, Bijapur, Narayanpur, Sukma, Kondagaon, Balodabazar, Gariaband, Bemetara, Balod, Mungeli, Surajpur, Balrampur, Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki, Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai, Sarangarh-Bilaigarh, Manendragarh -Chirmiri-Bharatpur (MCB), Gaurela-Pendra-Marwahi, Sakti the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the provision to sub section (3) of section 3 of the National Security Act, 1980(NO.65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, District Raipur, Bilaspur, Rajnandgaon, Durg, Raigarh, Surguja, Jashpur, Korla, Janjgir-Champa, Korba, Kabirdham, Mahasamund, Dhamtari, Jagdalpur, Dantewada, Kanker, Bijapur, Narayanpur, Sukma, Kondagaon, Balodabazar, Gariaband, Bemetara, Balod, Mungeli, Surajpur, Balrampur, Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki, Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai, Sarangarh-Bilaigarh, Manendragarh -Chirmiri-Bharatpur (MCB), Gaurela-Pendra-Marwahi, Sakti may during the period From 1st January, 2026 to 31 March, 2026 if satisfied as provided in sub section (2) of the said section 3, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said section 3.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. CHOUHAN, Deputy Secretary.